



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032021-226045
CG-DL-E-23032021-226045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1191]
No. 1191]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 1288(अ).—एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. के-11011/5/2009-डी.डी.आई.ए. दिनांक 22.3.2021 के माध्यम से निम्नलिखित सदस्यों को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में नामित किया है।

धारा 5(2)(बी) के अंतर्गत:

1. प्रो. पी.एस.एन. राव, निदेशक, एस.पी.ए.।
2. प्रो. जगन शाह, भूतपूर्व निदेशक, एनआईयूए, वर्तमान में अवसंरचना विकास विभाग, डी.एफ.आई.डी.।

धारा 5(2)(सी) के अंतर्गत:

1. प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार।

धारा 5(2)(डी) के अंतर्गत:

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-1 प्रतिनिधि।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम-1 प्रतिनिधि।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम-1 प्रतिनिधि ।**धारा 5(2)(ई) के अंतर्गत:**

1. प्रधान सचिव/सचिव (पॉवर), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड ।

धारा 5(2)(ईई) के अंतर्गत:

1. प्रबंध निदेशक, डी.टी.सी.
2. विशेष आमंत्रित-गण :
 - क. प्रबंध निदेशक, डी.एम.आर.सी. ।
 - ख. प्रबंध निदेशक, एन.सी.आर.टी.सी. ।

धारा 5(2)(एफ) के अंतर्गत:

1. श्री निखिल साहनी, अध्यक्ष, सी.आई.आई. उत्तरी क्षेत्र परिषद् ।
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ।
3. संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय ।

धारा 5(2)(जी) के अंतर्गत:

1. महानिदेशक (रक्षा संपदा), रक्षा मंत्रालय ।
2. सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) को संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नामित करने हेतु ।
3. सचिव (दूरसंचार) को संयुक्त सचिव के अधिकारी को नामित करने हेतु ।
4. महानिदेशक (के.लो.नि.वि) को अपर-महानिदेशक स्तर के अधिकारी को नामित करने हेतु ।

[सं. एफ.एम.सी. /एफ1/0001/2020/डीडीए]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.O. 1288(E).—It is hereby notified that the Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India vide letter No. K-11011/5/2009-DDIA dated 22.3.2021 has nominated the following as Members of Advisory Council of Delhi Development Authority as per Section 5 of Delhi Development Act, 1957:-

Under Section 5(2)(b):

1. Prof. P S N Rao, Director, SPA
2. Prof. Jagan Shah, former Director, NIUA, presently Department of Infrastructure Development, DFID

Under Section 5(2)(c):

1. Principal Secretary/Secretary (Health), GNCTD

Under Section 5(2)(d):

South Delhi Municipal Corporation – 1 representative
 North Delhi Municipal Corporation – 1 representative
 East Delhi Municipal Corporation – 1 representative

Under Section 5(2)(e):

1. Principal Secretary/Secretary (Power), GNCTD
2. CEO, Delhi Jal Board

Under Section 5(2)(ee):

1. Managing Director, DTC
2. Special Invitees:
 - a. Managing Director, DMRC
 - b. Managing Director, NCRTC

Under Section 5(2)(f):

1. Shri Nikhil Sawhney, Chairman, CII Northern Region Council
2. Joint Secretary, Deptt. of Commerce
3. Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment

Under Section 5(2)(g):

1. Director General (Defence Estates), Ministry of Defence
2. Secretary (Road Transport and Highway) to nominate JS level officer
3. Secretary (Telecommunication) to nominate JS level officer
4. Director General (CPWD) to nominate ADG level officer

[No. F. MC/F1/0001/2020/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.